समाचार

प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

तानसेन चौक से रामपुर दारू भट्ठी के आगे तक हटाया गया अवैध कब्जा

(अवैध चखना दुकानें, पोल्ट्री फार्म व ठेलों को हटाकर किया गया अतिक्रमणमुक्त)

(उक्त मार्ग में आवाजाही करने वाले एवं स्थानीय नागरिकों ने ली राहत की सांस)

कोरबा 11 फरवरी 2022 – कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के मार्गदर्शन एवं आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए तानसेन चौक से बालको रोड में स्थित देशी शराब दुकान के आगे तक बरसों से किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान 08 चखना दुकानें, 02 पोल्ट्री फार्म को हटाने के साथ ही अवैध रूप से लगाए जा रहे 10 ठेलों को भी हटाकर स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया।

यहाँ उल्लेखनीय है कि कोरबा बालको मार्ग पर स्थित रामपुर देशी शराब दुकान के सामने सड़क के किनारे शासकीय जमीन पर कब्जा करते हुए शीटयुक्त पक्की दुकानें बना ली गई थी, जिन पर चखना बेचने का व्यवसाय किया जा रहा था, इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म भी अवैध रूप से चल रहा था, मुख्य मार्ग पर चखना दुकानों द्वारा भारी मात्रा में डिस्पोजल सहित अन्य कचरा फैलाया जा रहा था, इन अतिक्रमण को हटाने की मांग लोगों द्वारा समय–समय पर की जा रही थी। जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए आज संयुक्त कार्यवाही की गई तथा बरसों से किए गए उक्त अतिक्रमणों को हटाया गया। एस.डी.एम. कोरबा श्री हरिशंकर पैकरा की अगुवाई में प्रशासन व निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए 08 चखना दुकानों, 02 पोल्ट्री फार्म को हटाया तथा जे.सी.बी. के माध्यम से दुकानों को हटाकर स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया। इसके साथ ही उक्त मार्ग पर अवैध रूप से 10 ठेले लगाकर अतिक्रमण किया गया था, इन ठेलों को भी स्थल से हटाया गया। इस मौके पर एस.डी.एम. कोरबा श्री हरिशंकर पैकरा की अगुवाई में कोरबा तहसीलदार श्री पंचराम सलामे, निगम के संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर, राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध सिंह, राजबहादुर सिंह, रघुराज सिंह, के.एस.क्षत्री, विकास शुक्ला, पुखराज यादव आदि की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की।

पुनः अतिक्रमण पर होगी जवाबदारी तय– आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने अतिक्रमण प्रभारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि वह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें कि पुनः उक्त स्थल पर अतिक्रमण नहीं होगा तथा पुनः कोई ठेला या दुकान नहीं लगाई जाएगी। उन्होने कहा कि यदि पुनः अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण प्रभारी की जवाबदारी तय की जाएगी।

अतिक्रमण पर रखें सतर्क नजर, करें त्वरित कार्यवाही– आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने–अपने कार्य स्थलों में अतिक्रमण पर सतर्क नजर रखें तथा जहॉ कहीं भी अतिक्रमण, अवैध कब्जा दिखे, उसकी तत्काल सूचना अतिक्रमण दस्ते को दें, साथ ही यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी नया अतिक्रमण न होने पाएं। उन्होने अतिक्रमण दस्ता प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त होते ही अविलंब अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करें।